कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर

वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र (ए.डी.आर. सेन्टर) संयोगिता नगर, अजमेर
फोन न.– 0145–2943811] Email : dlsalajmer@gmail.com

क्रमांक / सामान्य / 2024–25 / 209 दिनांक :– 05/03/2024

विज्ञप्ति

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर, स्थाई लोक अदालत, अजमेर व तालुका विधिक सेवा समिति ब्यावर, किशनगढ़, केकड़ी, नसीराबाद, विजयनगर, पुष्कर व सरवाड़ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त कर्मचारीगण की सेवाएं लिये जाने / विपरीत प्रतिनियुक्ति हेतु निम्नानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क. सं.	प्राधिकरण / समिति का नाम	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों की संख्या
1	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर	4
2	स्थाई लोक अदालत, अजमेर	2
3	तालुका विधिक सेवा समिति ब्यावर, किशनगढ़, केकड़ी, नसीराबाद, विजयनगर, पुष्कर, सरवाड़ (प्रत्येक में 1–1)	7
		कुल पद – 13

राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ. 17 (10) डीओपी / ए–II / 94 दिनांक 08.02.2018 व 14.02.2018, राजस्थान सरकार विधिक विभाग की आज्ञा संख्या पं. 08(1)विधि– 2 / विरस(64) / 2015 पार्ट दिनांक 14.02.2024 एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के आदेश क्रमांक'एफ (136 / 2) रालसा / संस्था–संविदा सेवा / 2023 / 101 दिनांक 27.02.2024 के अनुक्रम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती होने में विलम्ब की संभावना होने एवं तत्कालिक आवश्यकता और अपरिहार्यता को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उक्त रिक्त पदों पर राज्य सरकार के विभागों / पीएसयू से विपरित प्रतिनियुक्त पर संविदा पर सेंवाएं ली जानी हैं।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा सेवा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 (दिनांक 01.04.2024 से 29.02.2025 तक अथवा नियमित भर्ती होने तक जो भी पूर्व में हो) की अवधि के लिए सेवा ली जानी है।

उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप पारिश्रमिक राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के अनुसार देय होगा। आवेदक को पुनर्नियुक्ति हेतु वांछित स्थान का विकल्प वरीयता में देना होगा।

सेवानिवृत्त कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई हो, की सेवाएं दिनांक 28.02.2025 तक को अवधि के लिये या नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो की कालावधि तक सेवाएं देने के इच्छुक कार्मिक विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज के आवेदन कर सकेगें। उक्त संवर्गो की सेवाएं राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों / निर्देशों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी। उक्त सेवाएं जिला विधिक रोवा प्राधिकरण अजमेर में रिक्त पदों के अनुसार ली जायेगी।

उरोक्त वर्णित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पद पर उक्त शर्तो के अध्यधीन सेवाएं देने वाले इच्छुक कर्मचारी दिनांक 12.03.2024 को 1.00 पीएम तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।

आवेदक जिला न्यायालय, अजमेर की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/ajmer से आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकता है। आवेदकों को सलाह ही जाती है कि दिनांक 12.03.2024 के पश्चात् के आवश्यक निर्देशों बाबत् जिला न्यायालय, अजमेर की वबसाईट एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे।

विपरीत प्रतिनियुक्ति पर आवेदन करने वाले आवेदक को विभाग की अनुमति संलग्न करना आवश्यक होगा तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा विपरीत नियुक्ति हेतु आवेदन किया जाता है तो उसे राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों व निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से करनी होगी।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
अजमेर

क्रमांक / सामान्य / 2024–25 / 209-2023 दिनांकः– 5/3/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, समस्त राजस्थान।
3. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर
4. तालुका विधिक सेवा समिति ब्यावर / किशनगढ़ / केकड़ी / नसीराबाद / बिजयनगर / पुष्कर / सरवाड़ .
5. सिस्टम आफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर को जिला न्यायालय, अजमेर की वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु
6. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
अजमेर

कार्यालयः– जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर (राज.)

(राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में सेवानिवृत्त कर्मचारी/विपरीत प्रतिनियुक्ति हेतु सेवाएं लेने के लिये)

आवेदन पत्र

1–सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :– ....

2–पिता/पति का नाम :– ....

3–जन्म तिथिः– ....

4–पता मय मोबाईल नम्बर :– ....

....

....

5. आयु (दिनांक 29.02.2025) :– .... वर्ष .... माह .... दिन

6. शेक्षणिक एवं तकनीकी अर्हताएं :– ....

7. मूल विभाग का नाम :– ....

....

8. सेवानिवृत्त से पूर्व धारित पद :– ....

....

9. अनुभव :– ....

....

10. सेवानिवृत्त के समय मूल वेतन
(रनिंग पे बैण्ड वेतन, ग्रेड पे) ....
पे–स्लीप/एलपीसी संलग्न करें।

11. मूल पेंशन राशि
(पीपीओ की प्रति संलग्न करें।) ....

12. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय) ....

13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार) ....

14. पुनर्नियुक्ति हेतु वांछित स्थान का नाम वरीयता अनुसार
(1)...................................... (2)......................................(3)......................................

15. पदनाम जिसके लिए कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा हैं......................................

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

विभागाध्यक्ष का प्रामण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए आवेदन प्रारूप में बिन्दु संख्या 1 से 13 तक तथ्य सम्य पाए गए हैं और श्री/श्रीमती... पुत्र/पत्नी.................................जो सेवानिवृत्ति से पूर्व ....पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के समबन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किए जाते है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती............................. की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबन्ध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती................. .... रुपए....................................मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड, ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती.................................. अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया2गयी है और श्री/श्रीमती... के विरूद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्ध ली जा रही है, उससे किसी प्रकार से नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

मय सील